(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 215/2020

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र लाला जाति धाकड़ निवासी नियाना तह0 छीपाबड़ौद
2. प्रकाश पुत्र लाला जाति धाकड़ निवासी नियाना तह0 छीपाबड़ौद
3. भंवरलाल पुत्र लाला जाति धाकड़ निवासी नियाना तह0 छीपाबड़ौद
4. नारायण पुत्र लाला जाति धाकड़ निवासी नियाना तह0 छीपाबड़ौद
5. रमेश पुत्र लाला जाति धाकड़ निवासी नियाना तह0 छीपाबड़ौद

(अपीलांटगण)

बनाम

1. हरनारायण पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद
2. मथुरालाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद
3. नवलकिशोर पुत्र कल्याण प्रसाद जाति धाकड़ निवासी गगचाना तह0 छीपाबड़ौद
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा मिसल नं. 2/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2020 के अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री मदनमोहन नागर अभिभाषक (रेस्पो0 क्रम 1,2 व 3)
3– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26.02.2021

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा मिसल नं0 2/2019 में अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 21.08.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित रखी गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 18:15:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में जहां अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता दिया है, वहाँ पर पूर्व में कभी कोई रास्ता नहीं था तथा राजस्व रिकार्ड में भी रास्ता नहीं है। धारा 251 आर. टी.एक्ट में पहले से दर्ज रास्ते को खुलासा करवाया जा सकता है किन्तु नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण यदि तहसीलदार के समक्ष पेश होता है तो उसको सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना जरूरी है। इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया जो कि

अधीनस्थ न्यायालय की वैधानिक भूल है। अधी0 न्यायालय ने जहाँ से रास्ता दिया है, वहाँ अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि है तथा खातेदारी की भूमि पर रास्ता 251 (ए) आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय को इसका अधिकार नहीं है। रेस्पो0 का पूर्व से खसरा नं0 44 व 45 से होकर पुराना रास्ता है तथा उस पर होकर ही रेस्पो0 आते–जाते थे। अपीलांट के खेत में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा अपीलांट ने वर्तमान में सोयाबीन की फसल बो रखी है। रेस्पोडेन्टगण दोनों तरफ से रास्ता लेना चाहते है जो कानून के खिलाफ है। अपीलांट की फसल मरके पर खड़ी हुई है तथा कटाई का समय निकट होने से नुकसान होने की पूर्ण संभावना है तथा रेस्पो0 अपीलांट की फसल को हांकने का दबाव बना रहे है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधी0 न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद का निर्णय दिनांक 22.07.2020 को निरस्त कर रेस्पोडेन्टगण को पाबन्द किया जावें कि वह अपीलांट के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 61 में किसी प्रकार की काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2020 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण मे अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण का कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता पत्थर का कोट किया जाकर रोका गया। जिसे खुलासा करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई ओर अपीलांटगण को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा रेस्पोडेन्टगण की साक्ष्य से जिरह भी की गई है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय मे पूर्ण अवसर मिला है। अतः अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण की कृषि भूमि पर आने–जाने का रास्ता अपीलांटगण द्वारा पत्थर का कोट किया जाकर रोका गया। जिसको खुलासा करवाये जाने हेतु रेस्पोडेन्टगण ने अधी0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट दिनांक 11.7.2019 प्राप्त की गई और प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर, जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से जिरह भी की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण को अधी0 न्यायालय में जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने व जिरह करने का पूर्ण अवसर मिला है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण की कृषि भूमि पर आने–जाने के रास्ते पर पत्थर का कोट किया जाकर रास्ता रोका गया है जिसे हीं अधी0 न्यायालय द्वारा खुलासा करवाने का आदेश पारित किया गया न कि नया रास्ता कायम करने का। साथ ही पटवारी रिपोर्ट में भी प्रश्नगत स्थान पर परम्परागत रास्ते का होना अवगत कराया गया है जो कि पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा अन्तर्गत धारा 251 आर.टी. एक्ट के तहत मिसल नं. 2/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.07.2020 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:12 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

68 Fesla 2021